जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय,

ग्राम–मदाऊ, पोस्ट–भांकरोटा, जयपुर–302026

शिक्षाचार्य प्रवेश विवरणिका

2015

प्री–शिक्षाचार्य परीक्षा–2015

संरक्षक

प्रो. विनोद शास्त्री
कुलपति

समन्वयक

सीमा सिंह
कुलसचिव

प्री–शिक्षाचार्य प्रवेश परीक्षा 2015 से संबंधित मुख्य तिथियॉ

विज्ञापन दिनांक	18.06.2015 (गुरूवार)
आवेदन पत्र डाउन लोड करने की दिनांक	24.06.2015 (बुधवार)
विश्वविद्यालय में आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि	06.07.2015 (सोमवार)
प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि	13.07.2015 (सोमवार)
प्रवेश परीक्षा	19.07.2015 (रविवार) समयः– 2.00 बजे से 5.00 बजे
परिणाम घोषणा की तिथि	22.07.2015 (बुधवार)
काउन्सिलिंग तिथि	03.08.2015 व 04.08.2015 (सोमवार व मंगलवार)
सत्र प्रारम्भ	05.08.2015 (बुधवार)

प्री–शिक्षाचार्य प्रवेश परीक्षा 2015 रविवार दिनांक 19.07.2013 को अपरान्ह् 2.00 बजे से 5.00 बजे तक ज.रा.रा.सं. विश्वविद्यालय परिसर जयपुर में होगी।

1. पात्रता	शिक्षाशास्त्री / बी.एड. (संस्कृत शिक्षण विषय सहित), सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के सहित, अ.जा., अनु. जनजाति, ओ.बी.सी., टीएसपी, एसबीसी विकलांग लिए 50 प्रतिशत
2. आवेदन पत्र एवं परीक्षा शुल्क	रू. 500 / – का डी.डी. समन्वयक PSAT–2015 ज.रा.रा.सं.वि.वि. , जयपुर के नाम बनाकर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।
3. फोन परामर्श / सहायता	0141–5132005

4 प्रवेश के संदर्भ में राज्य सरकार व राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.) द्वारा समय–समय पर जारी आदेश–निर्देश लागू होगें।

शिक्षाचार्य प्रवेश परीक्षा की विवरणिका में कुल 13 पृष्ठों को वैबसाईट से डाउनलोड कर नियमों की जानकारी लेनी है।

शिक्षाचार्य प्रवेश आवेदन पत्र में कुल 3 पृष्ठ है।

सत्र 2015 में शिक्षाचार्य में प्रवेश देने हेतु प्री–शिक्षाचार्य परीक्षा को आयोजित करने हेतु राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग के संयुक्त सचिव उच्च शिक्षा के आदेश क्रमांक प10 (3)शिक्षा–1 / 2012, जयपुर दिनांक 16 / 02 / 2015 के अनुसार जगद्गुरु रामानन्दचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय को अधिकृत किया गया है।

जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय,

ग्राम–मदाऊ, पोस्ट–भांकरोटा, जयपुर–302026

स्थापना

सम्पूर्ण संस्कृत वाङ्मय के सांगोपांग अध्ययन–अध्यापन के साथ–साथ उसमें निहित ज्ञान–विज्ञान को विशेषज्ञीय अनुसंधान द्वारा प्रकाश में, लाने संस्कृत को अद्यतन विज्ञान के साथ शोधपरक विश्लेषण के द्वारा प्रायोगिक रूप से समाजोपयोगी बनाने, वैदिक वाङ्मय में अन्तर्निहित लौकिक–अलौकिक तथा पारलौकिक विशिष्ट ज्ञान–विज्ञान को अनुसंधानपरक वैज्ञानिक विधियों से व्यावहारिक रूप में प्रस्तुत करने, संस्कृत शिक्षा को एक नई दिशा प्रदान करने के उद्देश्यों से राजस्थान–संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम 1998 पारित कर राजस्थान सरकार ने संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की है।

दिनांक 6 फरवरी, 2001 को राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय का विधिवत् शुभारम्भ हुआ जिसके प्रथम कुलपति पद्मश्री डॉ. मण्डन मिश्र बने। प्रशासनिक कुशल,ज्योतिष शास्त्र के प्रकाण्ड विद्वान विश्वविख्यात आचार्य विनोद शास्त्री विश्वविद्यालय के कुलपति पद को सुशोभित कर रहे हैं।

विश्वविद्यालय परिसर :–

राज्य सरकार द्वारा 79.55 हैक्टर (लगभग तीन सौ बीघा) भूमि संस्कृत विश्वविद्यालय को दी गई है। विश्वविद्यालय को प्रातः स्मरणीय ब्रह्मपीठाधीश्वर संत शिरोमणि श्री नारायणदास जी महाराज त्रिवेणीधाम का सतत् शुभाशीर्वाद एवं वरदहस्त प्राप्त है। आपके आशीर्वाद से अल्पावधि में ही प्रथम चरण में भव्य भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है, जिनमें प्रशासनिक भवन, 6 संकाय भवन, कुलपति आवास, कुलसचिव आवास, विशाल पुस्तकालय भवन, शोधशाला, छात्र व छात्राओं के छात्रावास, छात्राओं के लिए मीरा छात्रावास वार्डन आवास, अतिथिगृह अधिकारी व कर्मचारी आवास, सुपर मार्केट, बैंक, पोस्ट ऑफिस आदि शामिल हैं जो भारतीय, विशेषतः जयपुर की वास्तुकला के अनुरूप बनाये गये हैं। योग केन्द्र,सभागार के निर्माण कार्य समाप्त हो गये है। तथा लोकार्पण होने वाला है।

आज संस्कृत विश्वविद्यालय अपने परिसर में विधिवत् संचालित है जिसमें शास्त्री, आचार्य, संयुक्ताचार्य,शिक्षाशास्त्री, विद्यानिधि, विद्यावारिधि उपाधियों के अध्ययन–अध्यापन की व्यवस्था के साथ–साथ गहन अनुसंधान एवं शोध को गति और दिशा देने के उद्देश्यों से नौ अध्ययन पीठों की स्थापना की गई है।

विश्वविद्यालय में सम्प्रति निम्नलिखित 6 संकायों के अधीन विभिन्न उपाधियों हेतु अध्ययन व्यवस्था है :–

1. वेद वेदांग संकाय	2. दर्शन संकाय	3. शिक्षा संकाय
4 आधुनिक ज्ञान विज्ञान संकाय	5. साहित्य एवं संस्कृति संकाय	6 श्रमणविद्या संकाय

शिक्षा–संकाय :–

विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय के अन्तर्गत शिक्षाशास्त्री (बी.एड), शिक्षाचार्य (एम.एड), विद्यानिधि (एम.फिल) एवं विद्यावारिधि (पीएच.डी) के पाठ्यक्रम संचालित है। वर्तमान में शिक्षाशास्त्री पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय से सम्बद्ध 65 शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में चल रहा है। सत्र 2007–08 से विश्वविद्यालय के शिक्षाशास्त्र विभाग में भी शिक्षाशास्त्री पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। एम.एड. उपाधि के समतुल्य शिक्षाचार्य पाठ्यक्रम अभी केवल विश्वविद्यालय के शिक्षाशास्त्र विभाग में चल रहा है, जो सत्र 2006–07 से प्रारम्भ हुआ है। शिक्षाशास्त्र विभाग के अन्तर्गत सत्र 2006–07 से विद्यानिधि शिक्षा (एम. फिल) पाठ्यक्रम भी प्रारम्भ किया गया है। शिक्षाशास्त्री पाठ्यक्रम में पी.एस.एस.टी. द्वारा मेरिट के आधार पर प्रवेश होता है। इसी प्रकार विद्यानिधि शिक्षा (एम.फिल) तथा विद्यावारिधि शिक्षा (पीएच.डी) उपाधि में प्रवेश के लिए यू.जी.सी की नेट अथवा राज्य सरकार की स्लेट परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी को सीधे प्रवेश दिये जाने की व्यवस्था है। नेट/स्लेट के अतिरिक्त इन पाठ्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालय अपने स्तर पर ली गई पात्रता परीक्षा की मेरिट के आधार पर भी प्रवेश देता है। शिक्षाचार्य (एम.एड.) में पूर्व प्रवेश परीक्षा द्वारा प्रवेश दिया जाता है।

शिक्षाचार्य :–

राज्य सरकार के निर्णयानुसार सत्र 2007–08 से शिक्षाचार्य कक्षा में प्रवेश, प्री–शिक्षाचार्य टेस्ट मेरिट के आधार पर दिया जा रहा है। सत्र 2015–16 से शिक्षाचार्य (एम.एड के समतुल्य) पाठ्यक्रम दो वर्षीय है। यह पाठ्यक्रम केवल विश्वविद्यालय के शिक्षाशास्त्र विभाग में संचालित है *वर्तमान में कुल 25 स्थान हैं।* शिक्षाचार्य पाठ्यक्रम के अध्ययन–अध्यापन एवं परीक्षा का माध्यम संस्कृत है।

नोट :– सीटों में वृद्धि अधिकतम 50 सीटें राज्य सरकार के अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्ति के उपरान्त ही की जा सकती है।

प्री–शिक्षाचार्य टेस्ट, 2015

महत्वपूर्ण निर्देश

शिक्षाचार्य में प्रवेश हेतु मार्गदर्शन :–

1. अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु प्रवेश परीक्षा के निर्देश बिन्दु एवं रूपरेखा :–

   शिक्षाचार्य प्रवेश परीक्षा में तीन घण्टे का प्रश्नपत्र होगा। प्रश्न पत्र 200 अंकों का वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा जिसमें सभी प्रश्नों के चार विकल्पात्मक उत्तर होंगे। अभ्यर्थी किसी एक सही उत्तर का चयन करेगा। इस प्रश्नपत्र में शिक्षा के सामाजिक–दार्शनिक आधारों पर 40 अंकों के , शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार पर 40 अंकों के शिक्षा इतिहास, समस्याएं, प्रबन्धन एवं शैक्षिक तकनीकी पर 40 अंकों के, संस्कृत विषय ज्ञान पर 40 अंकों के, संस्कृत शिक्षणाधिगम पर 40 अंकों (अर्थात् कुल 200 अंक) के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे।

- सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1–1 अंकों के होंगे तथा नकारात्मक अंकन नहीं होगा।
- प्रश्नपत्र संस्कृत माध्यम में होगा।

2. पाठ्य बिन्दु :–

शिक्षा के सामाजिक–दार्शनिक आधार–

शिक्षा का अर्थ, उद्देश्य, प्रकार,, शिक्षा दर्शन, समाज और शिक्षा, मूल्य शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, शिक्षा के राष्ट्रीय लक्ष्य एवं मानवाधिकार।

शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार–

शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ एवं आवश्यकता, बालक की वृद्धि एवं विकास, अधिगम, अधिगम के सिद्धान्त, बुद्धिलब्धि, व्यक्तित्व एवं विशिष्ट बालक।

शिक्षा इतिहास, समस्याएं, प्रबन्धन एवं शैक्षिक तकनीकी–

विविध कालों में शिक्षा, शिक्षा की समस्याएं, शिक्षा के विविध आयोग, विद्यालय प्रबन्धन एवं शैक्षिक तकनीकी।

संस्कृत विषयज्ञानम्–

शब्दरूपाणि, धातुरूपाणि, सन्धिः, समासः, कारकम्, स्त्रीप्रत्ययः, शतृशानचादयः प्रत्ययाः, कृत्तद्धितप्रत्ययाः, संस्कृतसाहित्यम्।

संस्कृतशिक्षणाधिगम :–

भाषाकौशलानि, शिक्षायाः विविध–आयोगाः, संस्कृतशिक्षणविधयः, संस्कृतशिक्षकस्य गुणाः संस्कृतशिक्षणसमस्याः, दृश्यश्रव्योपकरणानि, आदर्शसंस्कृतपाठयोजनाः, मूल्यांकनम्, संस्कृतशिक्षणस्य महत्त्वम्, संस्कृते समसामयिकाः अंशाः, संस्कृतशिक्षणेतिहासः।

प्री–शिक्षाचार्य टेस्ट 2015

प्रवेश नियम

1. शिक्षाचार्य पाठ्यक्रम में सत्र 2015–16 में प्रवेश के लिए ज.रा.रा. संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा प्री–शिक्षाचार्य प्रवेश परीक्षा आयोजित की जायेगी। एतदर्थं विश्वविद्यालय द्वारा प्री–शिक्षाचार्य परीक्षा हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय की शिक्षाशास्त्री/बी.एड (संस्कृत शिक्षण विषय सहित) में सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले तथा अनुसूचित जाति, अनु. जनजाति, ओ.बी.सी., विकलांग, विधवा, विवाह विछिन्न महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत एवं प्रवेश–अपेक्षाओं की पूर्ति करने वाले अभ्यर्थी प्री–शिक्षाचार्य परीक्षा के माध्यम से शिक्षाचार्य पाठ्यक्रम में आवेदन करने योग्य हैं।
2. शिक्षाचार्य की कुल सिटों में 70 प्रतिशत स्थान पारम्परिक धारा उपाधी धारकों के लिए तथा 30 प्रतिशत आधुनिक धारा बी. एड. (संस्कृत शिक्षण विषय सहित) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण निर्धारित है।
3. पात्रता परीक्षा हेतु शिक्षाशास्त्री/बी.एड. (संस्कृत शिक्षण विषय सहित) परीक्षा 2015 में बैठने वाले विद्यार्थी भी शिक्षाचार्य पाठ्यक्रम 2015 के लिए आवेदन कर सकते हैं तथा पात्रता परीक्षा में बैठ सकते हैं। शिक्षाचार्य पाठ्यक्रम हेतु शिक्षाशास्त्री/बी.एड. (संस्कृत शिक्षण विषय सहित) परीक्षा में इस वर्ष प्रविष्ट अभ्यर्थियों को प्री–शिक्षाचार्य प्रवेश परीक्षा के मेरिट में आने पर काउन्सलिंग के दिन पात्रता–परीक्षा की उनके वर्ग की न्यूनतम अर्हता अंक तालिका अनिवार्यतया प्रस्तुत करनी होगी। अन्यथा उनका प्रवेश अधिकार स्वतः समाप्त हो जाएगा।
4. अभ्यर्थी का नाम योग्यता सूची में उनके स्वयं के वर्ग में उपलब्ध कुल स्थानों के अन्तर्गत आने पर काउन्सिलंग में बुलाया जायेगा।
5. शिक्षाचार्य पाठ्यक्रम में वर्तमान *25 स्थान निर्धारित* हैं।
6. प्री–शिक्षाचार्य टेस्ट में प्राप्त अंकों के आधार पर सफल अभ्यर्थियों की एक योग्यता सूची बनाई जायेगी।
7. इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु राजस्थान राज्य के मूल निवासी पात्र होंगे परन्तु प्रवेश क्षमता की कुल सीटों में 5 प्रतिशत सीटों पर राज्य से बाहर के आवेदकों को मेरिट से प्रवेश दिया जायेगा, बशर्ते उन का मेरिट सामान्य वर्ग की वरीयता सूची में आना चाहियें।
8. उपलब्ध स्थानों की कुल संख्या में से आरक्षण इस प्रकार किया जायेगा :–

   (i) राजस्थान के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये .....16 प्रतिशत

   (ii) राजस्थान के अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिये .....12 प्रतिशत

नोट :– राजस्थान सरकार के नीतिगत निर्णय के अनुसार प्रमुख शासन सचिव स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग के पत्रांक प 10(6) शिक्षा–1/2007 जयपुर दिनांक 18.02.2010 के आदेशानुसार अनुसूचित जाति के उपयोजना क्षेत्र के स्थानीय अनुसूचित जनजाति के युवाओं को उपरोक्त 12 प्रतिशत का 45 प्रतिशत आरक्षण लागू होगा। अधिसूचित जनजाति उपयोजना क्षेत्र के पांच जिले यथा– बांसवाडा, डूंगरपुर, प्रतापगढ, उदयपुर एवं सिरोही

(iii) राजस्थान के अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये (एस.बी.सी. सहित).....21 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र 6 माह से अधिक पुराना मान्य नहीं होगा।

(iv) महिला अभ्यर्थी .....20 प्रतिशत (सह शिक्षा महाविद्यालयों में मैरिट के आधार

पर) महिला शिक्षा महाविद्यालयों में सभी स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे किन्तु इनमें राजस्थान राज्य के आरक्षण नियमों की अनुपालना की जायेगी। कुल उपलब्ध महिला स्थानों में 8 प्रतिशत विधवा तथा 2 प्रतिशत विवाह विछिन्न महिला अभ्यर्थियों कों आवंटित किये जायेंगे।

(v) विकलांग अभ्यर्थियों के लिए (मूक–बधिर, शारीरिक विकलांग तथा दृष्टिहीन प्रत्येक को 01 प्रतिशत) न्यूनतम 40 प्रतिशत असमर्थता होने पर .....03 प्रतिशत।

(अ) जहां मेडिकल कॉलेज है वहां के सम्बद्ध विशेषज्ञ रीडर से चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर

(ब) जहां मेडिकल कॉलेज नहीं है वहां के सी.एम.एच.ओ से अथवा विशेषज्ञता रखने वाले जूनियर स्पेशलिस्ट से प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर।

स्पष्टीकरण (नियम सं. 7 एवं 8 के लिये)

- राजस्थान की अनुसूचित जाति/जनजाति व अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों को जिला मजिस्ट्रेट/सब डीविजनल मजिस्ट्रेट तहसीलदार से इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- राजस्थान के मूल निवासी होने के दावे के निर्णय हेतु, किसी भी समकक्ष अधिकारी–जिला मजिस्ट्रेट अथवा इस निमित्त अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदत्त मूल निवासी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। विवाहित महिलाओं के सन्दर्भ में उसका मूल निवास राजस्थान में माना जा सकता है, बशर्ते है कि उसके पति का मूल निवास राजस्थान हो एवं उसका मूल निवास प्रमाण–पत्र पेश किया जाए और विवाह प्रमाण–पत्र जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी हो, परीक्षा में बैठने के लिए भरे गये आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया हो।
- पात्र अभ्यर्थियों की कुल संख्या में से पहले सामन्य सीटों का चयन किया जायेगा। तत्पश्चात् आरक्षित कोटे का चयन किया जायेगा और यदि आरक्षित कोटे के स्थान रिक्त रहेंगे तो उन्हें अन्य में सम्बन्धित वर्ग में वरीयता सूची के अनुसार स्थानान्तरित किया जायेगा और उनकी योग्यता सूची से भरा जायेगा। यदि किसी धारा (पारम्परिक अथवा आधुनिक) में निर्धारित वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होंगे तो सामान्य धारा में वर्ग के अभ्यर्थी का चयन मेरिट के आधार पर चयन किया जा सकेगा।

पात्रता नियमों का स्पष्टीकरण :–

- शिक्षाचार्य पाठ्यक्रम केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए है, जिन्होंने शिक्षाशास्त्री/बी.एड. (संस्कृत शिक्षण विषय सहित) उत्तीर्ण की है।
- पात्रता से अभिप्राय इस विश्वविद्यालय की शिक्षाशास्त्री उपाधि अथवा राजस्थान राज्य में स्थित अन्य विश्वविद्यालय की बी.एड. (संस्कृत शिक्षण विषय सहित) उपाधि अथवा भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की समतुल्य उपाधि जो इस प्रयोजनार्थ मान्य हो, से है।
- जो अभ्यर्थी प्री–शिक्षाचार्य प्रवेश परीक्षा–2015 के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक पात्रता शर्तों में से किसी शर्त को पूरा नहीं करता है उसे प्री–शिक्षाचार्य प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन नहीं करना चाहिये। **काउन्सलिंग की तिथि तक निर्धारित अर्हक–परीक्षा की मूल तालिका प्रस्तुत करने में असमर्थ होने पर अभ्यर्थी की पात्रता स्वतः निरस्त मानी जायेगी। मेरिट में आ जाने के बाद भी काउन्सलिंग दिन से तीन दिन के अन्दर उपस्थित न होने पर अभ्यर्थी की पात्रता स्वतः निरस्त मानी जायेगी। डाक की देरी/डाक न मिलने के लिए विश्वविद्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।**

सामान्य निर्देश :–

- प्रथमतः अभ्यर्थी को प्री–शिक्षाचार्य प्रवेश परीक्षा–2015 में बैठने की अपनी पात्रता का निर्धारण स्वयं करना चाहिये, क्योंकि परीक्षा में बैठने के स्तर तक आवेदन–पत्रों की जांच विश्वविद्यालय द्वारा की जानी आवश्यक नहीं है। परीक्षा में बैठने की जिम्मेदारी अभ्यर्थी की अपनी है जो उसे शिक्षाचार्य पाठ्यक्रम में प्रवेश का कोई अधिकार, उस दशा में नहीं देती है, यदि बाद में यह पता लगे कि वह इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता ही नहीं रखता।
- प्री–शिक्षाचार्य परीक्षा–2015 में अभ्यर्थी के लिए परीक्षा में बैठना या परीक्षा में पात्रता प्राप्त करने पर पाठ्यक्रम में प्रवेश का कोई अधिकार नहीं मिलेगा। उसके लिए यह आवश्यक है कि वह अभ्यर्थी अपने वर्ग की मेरिट के आधार पर ही स्थान प्राप्त करेगा।
- अभ्यर्थी को निर्देश पुस्तिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना चाहिये और समस्त नियमों की पालना करनी चाहिये।
- परीक्षा आवेदन पत्र के साथ संलग्नकों (प्रमाण पत्र/अंक सूची आदि) का मात्र उल्लेख करना और उन्हें नत्थी/संलग्न करना या आवेदन पत्र श्रेणी आदि का उचित अंकन किए बैगर प्रमाण–पत्रादि की प्रतिलिपि संलग्न कर देना या आवेदन–पत्र गलत अथवा असत्य सूचना/तथ्य अंकित करना, दुराचरण माना जायेगा और ऐसा आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा। एक बार जमा किए गए आवेदन पत्र में यदि अभ्यर्थी बाद में कोई अतिरिक्त सूचना संलग्न कराना चाहता है तो उसके द्वारा रु. 100/– नकद के साथ विश्वविद्यालय में आवेदन करने पर ही वह सूचना जोडी जा सकेगी।
- प्री–शिक्षाचार्य प्रवेश परीक्षा–2015 का शुल्क किसी भी दशा में वापसी योग्य नहीं है। अतः निर्देशों के अन्तर्गत जो अभ्यर्थी पात्रता रखते है केवल उन्हें ही आवेदन करना चाहिये।
- शिक्षाचार्य पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश परीक्षा, अध्ययन–अध्यापन, वार्षिक परीक्षा तथा लघु शोध प्रबन्ध का माध्यम संस्कृत होगा।
- ऐसे आवेदत्र पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा जो– 1. अंतिम तिथि के बाद प्राप्त हुआ हो। 2. जिस पर चस्पा हुआ फोटो राजपत्रित अधिकारी अथवा अग्रेषण अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया हो। 3. किसी भी अपूर्ण आवेदन पत्र।

टेस्ट प्रश्नपत्र एवं उत्तर चयन :–

- **प्री–शिक्षाचार्य परीक्षा केवल जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राज. संस्कृत विश्वविद्यालय केन्द्र पर ही होगी।**
- प्री–शिक्षाचार्य परीक्षा में कुल 200 अंकों का एक प्रश्नपत्र होगा जिसका माध्यम संस्कृत होगा।
- नकारात्मक मार्किंग नहीं है।
- सत्र 2015–16 में कटऑफ मार्क्स जारी करने की व्यवस्था नहीं की गई है।
- परीक्षार्थी को प्रश्नपत्र में दिये गये प्रश्न के सही उत्तर चुनकर उसे दिये गये उत्तर प्रपत्र में प्रश्न क्रमांक के अनुरूप काली स्याही के बॉलपेन से पूरे गोले को गहरा काला करना है। निशान गहरा काला और गोला पूरा भरा होना चाहिये। प्रश्नपत्र के उत्तर के लिये केवल एक गोले को गहरा काला करना है। उत्तर पत्रक पर इधर–उधर

कहीं कोई निशान नहीं लगाएं। उत्तर पत्रक पर रफ कार्य नहीं करना है। टैस्ट बुकलैट में रफ कार्य के लिए स्थान दिया हुआ है, उस जगह का उपयोग कीजिए। कम्प्यूटर स्कैनिंग से मूल्यांकन केवल उत्तर पत्रक (ओ.एम. आर शीट) के आधार पर ही किया जायेगा।

- टेस्ट पुस्तिका, परीक्षा समाप्ति के पश्चात् सम्बन्धित वीक्षक को लौटाना होगा।
- सभी अभ्यर्थियों की योग्यता सूची प्री–शिक्षाचार्य प्रवेश परीक्षा नियमों के अनुसार अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के मेरिट के आधार पर तैयार की जायेगी।
- प्री–शिक्षाचार्य परिणाम में दो या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने पर मेरिट का आधार उनकी शिक्षाशास्त्री/बी.एड परीक्षा के प्राप्तांक होंगे और यदि शिक्षाशास्त्री/बी.एड. परीक्षा के अंक समान होंगे तो जन्मतिथि को आधार माना जायेगा। अर्थात उम्र की अधिकता से वरीयता दी जावेगी।

आवेदन पत्र प्राप्ति एवं जमा करने का स्थान :–

आवेदन पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट **www.jrrsanskrituniversity.ac.in** से डाउनलोड कर आवेदन पत्र पूर्ण भर कर डाक द्वारा या स्वयं द्वारा **समन्वयक पीएसएटी–2015, जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, ग्राम मदाऊ, पोस्ट भांकरोटा, जयपुर–302026** में परीक्षा शुल्क का ड्राफ्ट (डी.डी.) के साथ जमा करवाया जा सकता है।

आवेदन पत्र के साथ संलग्नक :–

- सैकण्डरी स्कूल परीक्षा के प्रमाण पत्र व अंक सूची की प्रमाणित प्रतिलिपियां ।
- शास्त्री/बी.ए. /शिक्षाशास्त्री/बी.एड. (संस्कृत शिक्षण विषय सहित) एवं उत्तीर्ण समस्त परीक्षाओं की अंक तालिका की प्रतिलिपियॉ।
- इस वर्ष शिक्षाशास्त्री/बी.एड. (संस्कृत शिक्षण विषय सहित) कर रहे विद्यार्थी अपने प्राचार्य से प्रदत्त अध्ययनरत का प्रमाण पत्र को जमा करावें।
- मूल निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि।
- आरक्षण श्रेणी के प्रमाण स्वरूप सक्षम अधिकारियों के प्रमाण पत्र सत्यापित करवाना आवश्यक है।
- आवेदन पत्र अपना नवीनतम फोटो एवं हस्ताक्षर जो राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित कराने होंगे।

अन्य :–

- परीक्षा प्रवेश पत्र विश्वविद्यालय द्वारा डाक से भेजे जाऐगें।
- परीक्षा के उत्तर पत्रक किसी भी स्थिति में किसी न्यायालय (सिविल अथवा क्रिमिनल) के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये जायेंगे न ये अभ्यर्थी या उसके प्रतिनिधि के समक्ष प्रस्तुत किये जा सकेंगे।
- किसी भी वाद का न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।
- यदि किसी अभ्यर्थी के पास प्रवेश पत्र नहीं पहुचता है तो वह दो छाया चित्र (राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित) कर लाने पर डुप्लिकेट प्रवेश पत्र रुपयें 25/– शुल्क से परीक्षा केन्द्र पर दिया जायेगा। यह व्यवस्था परीक्षा पूर्व एक घण्टा तक ही रहेगी।

वरीयता सूची की घोषणा :–

- विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर परीक्षा में प्री–शिक्षाचार्य उपस्थित सभी अभ्यर्थियों की वरीयता सूची प्रदर्शित की जायेगी।
- परीक्षा वरीयता सूची वर्गानुसार विश्वविद्यालय की वैबसाइट : jrrsanskrituniversity.ac.in पर ही उपलब्ध होगी।

परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक निर्देश

1. परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है, इसके बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
2. परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनिट पहले अपना स्थान अवश्य ग्रहण कर लें।
3. अभ्यास कार्य उत्तर पत्र (ओ.एम.आर.) पर न करें।
4. केलकूलेटर, पेजर, मोबाइल, या अन्य किसी प्रकार की सामग्री जो परीक्षा को प्रभावित करती हो परीक्षा स्थल पर लाना वर्जित है।
5. प्रवेश के समय प्रवेश पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

महत्वपूर्ण सूचना

परिक्षार्थियों को सावधान किया जाता है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों कीरोकथाम) अधिनियम 1992 के प्रावधानों के तहत किसी सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग कानून के अनुसार एक अपराध है। तद्नुसार प्री–शिक्षाचार्य प्रवेश परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग करना तथा उनका सहारा लेने के दोष में लिप्त परीक्षार्थियों एवं उन्हें ऐसा करने में सहयोग करने वालों को 03 वर्ष तक के लिए जेल की सजा हो सकती है अथवा उन पर 2000/–रूपये तक जुर्माना हो सकता है अथवा दोनों सजाएँ हो सकती है।

समन्वयक

शिक्षाचार्य–प्रवेश–परीक्षा

आदर्श–प्रश्नपत्रम् : 200 अंकाः

200 अंकाः (वस्तुनिष्ठप्रश्नाः) **(समयावधिः –घण्टात्रयम्)**

भाग :– (i) शिक्षायाः सामाजिकदार्शनिकाधाराः :– 40 अंकाः

1. शिक्षायाः प्रमुखमुद्देश्यमस्ति–आत्मनः, मनसः, शरीरस्य च सर्वोत्कृष्टतमस्य तत्वस्योद्घाटनम्। एतन्मतमस्ति–

(अ) फ्राबेलमहोदयस्य (ब) गिजूभाईमहोदयस्य

(स) विवेकानन्दयस्य (द) गान्धिमहोदयस्य

2. षड्वर्षादारभ्य चतुर्दशवर्षेभ्यः बालकेभ्यः शिक्षायाः मौलिकाधिकारस्य प्रावधानं कस्मिन् संविधान–संशोधने कृतम् ?

(अ) 86 तमे संशोधने (ब) 45 तमे संशोधने

(स) 46 तमे संशोधने (द) 42 तमे संशोधने

3. शिक्षाक्षेत्रे समानताया अवसरः तदागमिष्यति यदा–

(अ) लिंगभेदस्य समाप्तिः स्यात्। (ब) व्यावहारिकी समानता सुनिश्चिता स्यात्।

(स) अन्तर्जातीयविवाहस्य सामाजिकी मान्यता स्यात् (द) प्रजाभ्याःधनसंग्रहणम् स्यात्।

4. नवोदय–विद्यालयस्य स्थापनाया लक्ष्यम् –

(अ) ग्रामस्थ मेधाविबालकानां सुशिक्षायै (ब) ग्रामस्थ मन्दबुद्धिबालकानां सुशिक्षायै

(स) ग्रामस्थ बालकानां निःशुल्कसुशिक्षायै (द) नगर–बालकानां सुशिक्षायै

5. अधोलिखितशैक्षिकोद्देश्येषु सर्वाधिकमहत्वपूर्णमुद्देश्यमस्ति–

(अ) मूल्यानां विकासः (ब) आत्मनिर्भरताया विकासः

(स) सर्वधर्मसमभावात्मको विकासः (द) राष्ट्रिय–लक्ष्याणां सम्पूर्त्तिविकासः

भाग :– (ii) शिक्षायाः मनोवैज्ञानिकाधाराः :– 40 अंकाः

1. वर्तमानसमये मनोविज्ञानं मन्यते–

(अ) आत्मनः विज्ञानम् (ब) मनसः विज्ञानम्

(स) व्यवहारस्य विज्ञानम् (द) मस्तिष्कस्य विज्ञानम्

2. विविधावस्थासु मनोवैज्ञानिकैः या अवस्था संक्रमणकालनाम्नाभिधीयते सावस्थास्ति–

(अ) बाल्यावस्था (ब) किशोरावस्था

(स) युवावस्था (द) वृद्धावस्था

3. अधिगमस्योद्दीपन–अनुक्रियासिद्धान्तस्य प्रवर्तक : –

(अ) थार्नडाइकमहोदयः (ब) पावलावमहोदयः

(स) स्किनरमहोदयः (द) ब्रूनर महोदयः

4. शिक्षया बालकस्य मूलप्रवृत्तीनां किं कर्तव्यम् ?

(अ) परिवर्तनम् (ब) संशोधनम्

(स) परिवर्धनम् (द) उन्नयनम्

5. अधोलिखितेषु स्तरेषु सामान्यबुद्धिलब्धिस्तर : –

(अ) 90 तः न्यूनतमम् (ब) 90 तः 110 पर्यन्तम्

(स) 110 तः 125 पर्यन्तम् (द) 125 तः अधिकम्

भाग :– (iii) शिक्षेतिहासः, समस्या, प्रबन्धनं, शैक्षिकप्रविधिशास्त्रम् :– 40 अंकाः

1. बहूद्देशीयविद्यालयस्य स्थापनाया अनुशंसा विहिता–

(अ) 'राधाकष्णन्' आयोगेन (ब) 'मुदालियर' आयोगेन्

(स) भारतीयशिक्षायोगेन (द) राष्ट्रियशिक्षायोगेन

2. निम्नलिखितेषु गुणेषु शिक्षकाय सर्वाधिकं महत्वपूर्णः गुणा : –

(अ) स्वविषयस्य सम्यग्ज्ञानम् (ब) विनोदप्रियः स्वभावः

(स) समयानुपालनम् (द) उपयुक्तोदाहरणप्रदाने नैपुण्यम्

3. समयविभागचक्रनिर्माणे सर्वाधिकं ध्यातव्यं किं भवति ?

(अ) समयावधिः (ब) विषयेभ्यो समयप्रदानम्

(स) छात्रश्रान्तिः (द) अध्यापकसौविध्यम्

4. **समाजस्य निम्नवर्गेषु शिक्षाया अपव्ययावरोधयोः वारणं कथं भवति ?**

(अ) आवश्यकविधिं निर्माणेन (ब) सर्वकारीयव्यवस्थां सुव्यवस्थाप्य

(स) अभिभावकेभ्यः आर्थिकसहायतां प्रदाय (द) अभिभावकेषु शिक्षां प्रति जागृतिं विधाय

5. **शिक्षाक्षेत्रे शैक्षिकप्रविधिशास्त्रस्य प्रभावादभूत्–**

(अ) संचारमाध्यमानां बाहुल्येन प्रयोगः (ब) नवाचाराणां विकासः

(स) शिक्षणाधिगमस्य सौकर्यम् (द) नूतनविधिषु अध्यापकस्य नैपुण्यम्

भाग :– (iv) संस्कृतविषयज्ञानम् :– 40 अंकाः

1. **किं शब्दस्य स्त्रीविवक्षायां चतुर्थी एकवचनम्–**

(अ) कस्यै (ब) कस्मै

(स) कस्याः (द) कस्य

2. **अस्मद्शब्दस्य षष्ठी–द्विवचनम्–**

(अ) नौ (ब) अस्मभ्यम्

(स) अस्मत् (द) नः

3. **तिष्ठानि–**

(अ) लङ्–प्रथमपुरुष–बहुवचनम् (ब) लिट्–मध्यमपुरुष–द्विवचनम्

(स) लोट्–उत्तमपुरुष–बहुवचनम् (द) लोट–उत्तमपुरुष–एकवचनम्

4. **प्र+ऋच्छति–**

(अ) पार्च्छति (ब) प्रार्च्छति

(स) परार्च्छति (द) प्रर्च्छति

5. **तत्+टीका– संधिः –**

(अ) श्चुत्व (ब) ष्टुत्व

(स) लुत्व (द) ङमुट्

6. **युवति –**

(अ) कृदन्तम् (ब) तद्धितान्तम्

(स) णिच्–प्रत्ययान्तम् (द) स्त्रीप्रत्ययान्तम्

7. **किं वाक्यं साधु –**

(अ) शिक्षिका शिक्षयन् फलं प्रदर्शयति (ब) शिक्षिका शिक्षयन्ति फलं प्रदर्शयति

(स) शिक्षिका शिक्षयन्ती फलं प्रदर्शयति (द) शिक्षिका शिक्षमाणं फलं प्रदर्शयति

8. **समुद्रस्य मध्ये –**

(अ) मध्ये समुद्रम् (ब) मध्यसमुद्रम्

(स) समुद्रमध्यम् (द) समुद्रे मध्यम्

9. **आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति मे व्यथा–कस्येदं वचनम् ?**

(अ) कालिदासस्य (ब) भवभूतेः

(स) माघस्य (द) वाल्मीकेः

10. **सर्पाः पवनं पिबन्ति– कर्मवाच्यम्–**

(अ) सर्पाः पवनं पीयते (ब) सर्पैः पवनः पीयते

(स) सर्पैः पवनं पीयते (द) सर्पैः पवनं पीयन्ते

भाग :– (v) संस्कृतशिक्षणाधिगमः :– 40 अंकाः

1. **संस्कृतायोगस्य अध्यक्षः**

(अ) प्रो. वी राघवन् (ब) सुनीति कुमार चटर्जी

(स) सर्वपल्लिराधाकृष्णन् (द) प्रो. यशपालः

2. शिक्षणं नाम –

(अ) बोधनम् (ब) लालनम्

(स) ताडनम् (द) ज्ञानस्य सङ्क्रमणम्

3. व्याकरणानुविधेः प्रवर्त्तकः –

(अ) पाणिनिः (ब) विद्यासागरः

(स) रामकृष्ण गोपालभाण्डार्करः (द) सी.आर. लक्ष्मणः

4. प्रश्नपत्रस्य मुख्यलक्षणम –

(अ) प्रामाणिकता (ब) विश्वसनीयता

(स) उपयोगिता (द) उपर्युक्तत्रयम्

5. प्रो. डी. एलोन् महोदयः अस्य नवाचारस्य मूलपुरुषः –

(अ) सूक्ष्मशिक्षणस्य (ब) भाषाप्रयोगशालायाः

(स) दलशिक्षणस्य (द) अभिक्रमिताधिगमस्य

6. पाठयोजनायाः मुख्यतया आधारभूतसोपानानि –

(अ) 6 (ब) 5

(स) 8 (द) 7

7. संविधानस्य.....सूच्यां भाषाणां निर्देशः वर्तते –

(अ) 9 (ब) 18

(स) 7 (द) 8

8. छात्राणाम् आदर्शपुरुषः –

(अ) रामः (ब) प्रधानशिक्षकः

(स) शिक्षकः (द) हनुमान्

9. अनुवादविधिना संस्कृतभाषाया अभ्यासः सुष्ठु भवति –

(अ) सत्यम् (ब) असत्यम्

(स) चिन्तनीयम् (द) न वक्तव्यम्

10. अहं संस्कृतशिक्षकः भवेयम् कुतः ?

(अ) वेतनस्वीकरणाय (ब) संस्कृतभाषापाठनाय

(स) संस्कृतभाषाप्रसाराय (द) छात्रेषु शीलनिर्माणाय

(उल्लिखित पांचों भागों के प्रश्न केवल उदाहरण के लिये हैं। प्रत्येक भाग में उतने ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जितने अंको का वह भाग निर्धारित किया गया है।)

जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय,

ग्राम–मदाऊ, पोस्ट–भांकरोटा, जयपुर–302026

दूरभाष : 0141–5132005, 5132025

Website : www.jrrsanskrituniversity.ac.in